


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क. स.	नाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
1	श्री कल्पना गुप्ता (व्याख्यातारा0वि) राबाउमावि, शाहपुरा, जोधपुर	अगस्त 2018 से सितम्बर 2018 अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018	राउमावि धवा, जोधपुर में राजनीति विज्ञान के रिक्त पद से राबाउमावि, शाहपुरा जोधपुर में राजनीति विज्ञान के रिक्त पद से
2	जयदीप सिंह चौहान आर0पी0 समग्र शिक्षा अभियान सागवाडा,डुंगरपुर	जून 2018 से अक्टूबर 2018	राउमावि सेलोता, डुंगरपुर में राजनीति विज्ञान के रिक्त पद से

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा0वि0/वेतनव्यवस्था/2017 दिनांक:-23/01/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि व्याख्याता सम्पत टाक को राबाउमावि शाहपुरा जोधपुर से राउमावि धवा, जोधपुर में दिनांक 19/12/18 के आदेश से पदस्थापित किया गया था यदि सम्पत टाक द्वारा राउमावि धवा, जोधपुर में कार्यग्रहण नहीं किया है तो तत्काल 03 दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु नोटिस जारी करावे एवं तत्पश्चात कार्यग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करावे ।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम ऍनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर